spent balance of about Rs. 43.00 crores from the CRF of last year. Thus, about Rs. 133 crores were available with the State Government under the CRF for meeting the expenditure on natural calamities, including the earthquake, during 1991-92.

In addition to above, the following financial assistance has also been provided to the State Government in the wake of recent earthquake;

(Rs. in crores)

(i) Ways & Means Advance	25·00
(ii) Jawahar Rozgar Yojana	6·51
(iii) Indira Awas Yojana	5·80
(iv) P.M.'s National Relief Fund	2.50
(v) Indian Peoples Natural Calamity Trust	0·08
(vi) National Housing Bank/HUDCO	30·00
	69·44

(b) No such complaints have been received by-the Govt, of Uttar Pradesh from any of the affected districts.

(c) Does not arise.

भूकम्प पीड़ितों के लिए सहायता

3305. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री 22 नवम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 211 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूकम्प से प्रभावित प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी-कितनी सहायता की मांग की गई तथा उन्हें वास्तव में कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय दलों द्वारा किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया;

(ग) केन्द्रीय दलों के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(घ) विभिन्न स्रोतों से भूकम्प राहत कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई; और

(ङ) विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों तथा सरकार द्वारा क्या-क्या राहत संबंधी उपाय किए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य, जहां भूकम्प के कारण व्यापक क्षति हुई है, ने 1991–92 के लिए राज्य आपदा राहत निधि में उपलब्ध धनराशि के अलावा केन्द्रीय सहायता की मांग करने का कोई ज्ञापन अभी नहीं भेजा है अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सहायता की मांग का कोई प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कोई क्षति नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय सहायता की कोई मांग नहीं की क्योंकि भूकम्प से हुई क्षति नगण्य है।

(ख) और (ग) राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था करने की विद्यमान योजना के आने पर राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे जाने की पहले की प्रक्रिया 1.4.1990 से समाप्त कर दी गई है। राज्यों में केन्द्रीय दल तभी भेजे जाते हैं जब कोई राज्य किसी विशेष

आपदा की असाधारण आपदा मानकर आपदा राहत निधि के अन्तर्गत उपलब्ध राशि के अलावा सहायता की मांग करता है। हाल ही में आए भूकम्प को देखते हुए, दो केन्द्रीय सर्वेक्षण दलों ने गढ़वाल क्षेत्र के भूकम्प-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया ताकि भूकम्प के दुष्प्रभावों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत उपायों और उनके लिए अपेक्षित तत्काल सहायता की आरंभिक जानकारी प्राप्त की जा सके। केन्द्रीय सर्वेक्षण दलों द्वारा की गई टिप्पणियों पर संकट प्रबन्ध दल की बैठकों में चर्चा की गई और केन्द्रीय सरकार के संबंधित सभी विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी एजेन्सियां भारतीय रेड क्रास सोसायटी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और स्वयं अपने चैनलों के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। इसलिए, भूकम्प पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु विभिन्न स्रोतों द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा एक जगह उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सहायता का अब तक का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा

1. खाद्य मंत्रालय ने अतिरिक्त गेहूं तथा चावल अर्थात् प्रत्येक 5,000 टन का आवंटन किया।

2. राहत तथा बचाव कार्यों के लिए वायु सेना ने 6 चेतक तथा 2 एम.आई.टी. हेलीकोप्टर उपलब्ध कराये।

3. सीमा सड़क संगठन ने अपने क्षेत्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर यातायात योग्य बनाया।

4. संचार मंत्रालय ने आपातकाल के आधार पर उत्तर कांशी, टिहरी तथा चमोली जिलों में एस.टी.डी. सुविधायें प्रदान की। उसने सभी नौ क्षतिग्रस्त टेलीफोन केन्द्रों की भी मरम्मत की तथा उन्हें 2 नवम्बर, 1991 तक प्रचालन योग्य बनाया।

5. प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये रखा। प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष तथा अन्य स्रोतों से भारतीय रेड क्रास के जरिए 73.00 लाख रुपए के मूल्य की राहत सामग्री जैसे कम्बल, ऊनी कपड़े, दुग्ध चूर्ण, उच्च प्रोटीन युक्त बिस्कुट, छत ढकने आदि हेतु पोलिथिन सीट्स तथा सी.आई. सोट्स, भिजवायी गयी।

6. प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि से राज्य सरकार को 205 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जिसमें भारतीय रेड क्रास सोसायटी के 25 लाख रुपये शामिल हैं।

7. राज्य सरकार को साधनोपाय अग्रिम के रूप में 25.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये।

8. राष्ट्रीय आवास बैंक/हुडको ने भवनों के निर्माण के लिए 30.00 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

9. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत तीन प्रभावित जिलों अर्थात् उत्तर कांशी, टिहरी तथा चमोली के लिए 6.51 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये। इसके अतिरिक्त, इन्दिरा आवास

योजना के अंतर्गत भूकम्प-ग्रस्त क्षेत्रों में भवनों के निर्माण/मरम्मत हेतु 5.80 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में भी निर्मुक्त किये गये।

10. ऊर्जा मंत्रालय ने क्षति-ग्रस्त ट्रान्स-मिशन लाइनों की मरम्मत की तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रचालन योग्य बनाया।

11. इण्डियन पीपुल्स नेचुरल कैलैमिटी ट्रस्ट से राज्य सरकार को 8.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी।

12. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया।

विवरण–II

भूकम्प-ग्रस्त क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये राहत उपायों का ब्यौरा

- मेरठ के आयुक्त एवं देहरादून के जिला मैजिस्ट्रेट को अन्य विभागों एवं एजेंसियों से राहत उपायों का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।
- राज्य मुख्यालय तथा देहरादून, उत्तर काशी, टिहरी गढ़वाल और चमोली जिलों में चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहे हैं
- सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है कि वे सरकारी खजाने से राहत कार्य के लिए आवश्यक राशि का आहरण कर सकते हैं ।
- क्षतिग्रस्त संपत्तियों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न विभागों को 1950.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी।
- विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के 7 मोबाइल वाहन भेजे गये हैं।
- इन क्षेत्रों में 232 चिकित्सा दल कार्य कर रहे हैं ।
- उत्तर काशी में 15, टिहरी में 4 और चमोली में 5 राहत शिविर खोले गये हैं।
- प्रत्येक प्रभावित परिवार को 20 किलो-ग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किये गये हैं।
- प्रत्येक मृत्यु के मामले में 20,000/- रुपये, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के मामले में 5,000/- रुपये और मामूली रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2,000/-रुपये की अनुग्रह-राशि का भुगतान किया गया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त प्रत्येक मकान के लिए 20,000/- रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त प्रत्येक मकान हेतु 5000/- रुपये मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य के लिए 20,000/- रुपये की सहायता में 10,000/- रुपये नकद, 3,000/- रुपये—टीन शेड के लिए और 7,000/- रुपये—लकड़ी के लिए शामिल है।
- राज्य के वन विभाग ने मकानों के निर्माण में प्रयोग हेतु उत्तर काशी को 628 घनमीटर, टिहरी में 528 और चमोली में 22 घनमीटर लकड़ी का वितरण किया है ।
- मकान हेतु राजसहायता, निःशुल्क राहत और अणुग्रह भुगतान के रूप में उत्तर-काशी को 954.00 लाख रुपये, टिहरी में 790.60 लाख रुपये, चमोली में 178.74 लाख रुपये और देहरादून में 3.75 लाख रुपये की राशि की सहायता प्रदान की गई है ।
- मिट्टी का तेल, आटा, चावल, चीनी और नमक का भी वितरण किया जा रहा है ।
- प्रभावित जिलों को लगभग 40,000 तिरपालों/टेन्टों की आपूर्ति ।
- प्रभावित जिलों को लगभग 91,000 कम्बलों की आपूर्ति ।